संख्या. ए-20011/सामान्य/09 (क)-हिन्दी (61)
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं-9 के.स.का परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली - 3/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/Date - 06 मई , 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण संबंधी कार्यालय ज्ञापन के निदेशों के अनुपालन के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/08/2025-रा.भा.(हिन्दी) दिनांक 27.02.2026, जो संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित निरीक्षण बैठक के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति के पुनर्विलोकन से संबंधित है, का संज्ञान लिया जाए (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग एवं संबंधित निर्देशों के प्रभावी अनुपालन पर विशेष बल दिया गया है, जिसके अनुपालन हेतु निदेशालय में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:

क्रम संख्या	मद	कार्रवाई
1.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन	मुख्यालय के सभी अनुभागों एवं सभी अंतर-राज्य पुलिस बेतार केंद्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पालन सुनिश्चित करें।
2.	नियमित रूप से हिंदी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन	मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग एवं सभी अंतर-राज्य पुलिस बेतार केंद्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन सुनिश्चित करें।

3. अतः निदेशालय के मुख्यालय स्थित सभी अनुभागों, संचार केंद्रों, पोलनेट हब, प्रशिक्षण संस्थानों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्रवाई करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न – यथोक्त (एक प्रति) ।

अभिषेक यादव 06/05/2026
(अभिषेक यादव)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रति:-

1. मुख्यालय स्थित सभी अनुभाग, संचार केंद्र, पोलनेट हब, केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र – आवश्यक कार्रवाई हेतु - स.नि.पु.बे. की वेबसाइट के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली – आपके पत्र संख्या 11020/08/2025-रा.भा. (हिन्दी) दिनांक 27.02.2026 के अनुपालन में ।
3. सूचना व प्रौद्योगिकी अनुभाग: स.नि.पु.बे. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

फा. सं. 11020/08/2025-रा. भा. (हिन्दी)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक: 27.02.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप समिति द्वारा भुवनेश्वर में दिनांक 20 से 22 नवंबर, 2025 तक भुवनेश्वर तथा उसके आस-पास स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने हेतु निरीक्षण बैठक के संबंध में।

उक्त विषय पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को संबोधित माननीय सांसद डॉ. दिनेश शर्मा के दिनांक 07.01.2026 के पत्रांक 11012/11/2025-समिति-I में निरीक्षण बैठक के दौरान हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति के पुनर्विलोकन के आधार पर गृह मंत्रालय के निरीक्षणाधीन कार्यालयों को कुछ मदों पर कार्रवाई करना अपेक्षित है। कई कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है। सभी कार्यालय नियमित रूप से हिंदी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करें, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूकता और रुचि जागृत हो। राजभाषा संबंधी रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए तथा राजभाषा संबंधी पदों पर केवल राजभाषा संवर्ग के कार्मिकों को ही नियुक्त किया जाए तथा जिन कार्यालयों में राजभाषा संबंधी पदों का सृजन नियमानुसार नहीं किया गया है वहां पदों का सृजन किया जाए ताकि राजभाषा के प्रचार-प्रसार, कार्यान्वयन एवं निरीक्षण संबंधी कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि आपके कार्यालय में उपर्युक्त मदों के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित हो इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं और की गई कार्रवाई से मंत्रालय को अवगत करवाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की निरीक्षण बैठकों के दौरान किसी प्रकार की कमी न पाई जाए।

अपर निदेशक अनुभाग
Addl. Director Section
Dy. No. 246

निदेशक का निजी अनुभाग
Director's Personal Section
Dy. No. 369
दिनांक 10/3/26

(अनुपमा परमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-23438192
ईमेल: dir_ol@mha.gov.in

सेवा में,

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।

Scanned with OKEN Scanner